RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 4 | Issue : 12 | Dec 2014 | ISSN - 2249-555X

C.G. Ke Krushi Vikas Me Sahkari Vipanan Ki Bhoomika (C.G. Rajya Sahkari Vipanan Sangh Ke Vishesh Sandarbh Me)

छ.ग. के कृषि विकास में सहकारी विपणन की भूमिका (छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के विशेष सर्न्दभ में)

KEYWORDS

Dr HARJINDER PAL SINGH SALUJA	DHARMENDER SINGH
PROFESSOR, V.Y.T.Autonomas Govt. Collage, Durg C.G.	Asst. professor R.R.D.S. Govt collage, Khairagarh C.G.

हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70: जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का 13.35: हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। कुल घरेलु उत्पाद में कृषि की भागीदारी में गिरावट निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या, विकसित हो रहे कल–कारखाने, शहरी क्षेत्र का विकास आदि का प्रभाव कृषि भूमि पर लगातार बढ़ रहा है। दिनों–दिन कृषि भूमि का क्षेत्र सिकुड़ता एवं सिमटता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ रही है आगे और भी बढ़ेगी। राज्य की कृषि विकास दर में काफी उतार–चढ़ाव है। राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद में भी कृषि की हिस्सेदारी निरन्तर घटते जा रही है। राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में वर्ष 2010–11 में प्रचलित भाव पर 13.35: की भागीदारी रही।

कृषि की उन्नति का कृषि के उत्पादन के विक्रय से गहरा संबंध है। यदि कृषक अपनी उपज को उचित लाभ के साथ बेच सकता है तो निश्चित ही उसे फसल पैदा करने से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि उपज की दशा शोचनीय है। अधिकतर कृषि उपज व्यक्तिगत व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है, जो कृषकों की कमजोरियों का लाभ उठाकर उनका पूरी तरह शोषण करते हैं। ये मध्यस्थ कृषकों की उपज कम से कम मूल्य पर खरीदकर उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचकर अधिकतम लाभ उपार्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषक वर्ग इतना बिखरा हुआ है कि वह संगठित होकर व्यापारी वर्ग का सामना करने में असमर्थ रहा है। साथ ही सदियों तक कृषक महाजनों के चंगुल में फसे रहते हैं। मूलधन तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए फसल कटते ही उसे बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता।

कृषि उत्पाद की विभिन्न प्रक्रियाओं, यथा संग्रह, श्रेणीकरण, यातायात, वित्तपूर्ति एवं बिक्री का समावेश कृषि विपणन के अंतर्गत होता है। कृषि विपणन उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है। यह कृषि उत्पादन को उत्पादक से उपभोक्ता व औद्योगिक प्रक्रिया इकाइयों तक अपेक्षित समय व दूरी की सीमा में पहुंचाने में सहायक होता है। इसी प्रकार कृषि विपणन संगठन कृषि उत्पादों की कीमत और अन्य जानकारी उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों से उत्पादक तक पहुंचाने में सहायक होता है।

छ.ग. राज्य में सहकारिता के माध्यम से कृषि का विकास करने के उद्देश्य से छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ का गठन 30.10.2000 को किया गया। छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित शीर्ष संस्था है। जिसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी समितियों को संगठित कर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके आर्थिक विकास समृद्धि एवं कृषि के विपुल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराना है। साथ ही उत्पादित जिन्सों की यथोचित संग्रहण व्यवस्था कर कृषकों की उपज को समर्थन मूल्य अन्तर्गत उपार्जित कर कृषि उपज का शासन के निर्देशानुसार सही मूल्य दिलाना तथा बिचौलियों एवं व्यापारियों के शोषण से कृषकों को बचाना है। साथ ही कृषि उपज पर आधारित विभिन्न प्रक्रिया इकाइयों का संचालन करना भी संघ का उद्देश्य है। छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा शासन के प्रधान एजेण्ट के रूप में राज्य की 1333 सेवा सहकारी समितियों के 1888 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी राज्य के कृषकों से की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के साथ ही विपणन संघ कृषकों को कृषि कार्य हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद के वितरण का कार्य भी कर रहा है।

सहकारिता एवं सहकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहते हुए विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के हितार्थ कार्य करता है, जैसे शासन की एजेंसी के रूप में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन, रासायनिक खाद का वितरण, कीटनाशक औषधियों के विक्रय–वितरण का कार्य। विपणन संघ द्वारा कृषि उपज के क्रय की समुचित व्यवस्था कराने तथा कृषकों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए छ.ग. शासन के संकल्प को पूर्ण करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

धान उपार्जन कार्य – छ.ग. की मुख्य फसल धान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से राज्य शासन धान की खरीदी करता है। छ.ग. शासन द्वारा यह कार्य करने हेतु विपणन संघ को प्रधान (मुख्य) उपार्जन एजेंसी बनाया है। विपणन संघ नोडल एजेंसी के रूप में धान उपार्जन का कार्य राज्य में स्थित 1333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। विपणन संघ के माध्यम से खरीदे गये धान को मिलों द्वारा चांवल में बदला जाता है और फिर सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिये नागरिक आपूर्ति निगम को सौंप दिया जाता है। विपणन संघ राज्य शासन के निर्देशन में कृषकों को बिचौलियों से शोषण मुक्त रखने व उन्हें उपज का सही मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 1333 प्राथमिक समितियों के 1888 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य कर रहा है।

राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान उपार्जन योजना अप्रैल, 2002 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा चांवल उपार्जित हेतु अधिकृत एजेंसी स्टेट सिविल सप्लाईस कार्पोरेशन है। समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान से मिलिंग उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार चांवल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईस कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अतिरिक्त उपार्जन चांवल केन्द्रीय पुल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान उपार्जन योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (;P.D.S.) एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये चांवल की आपूर्ति में राज्य आत्मनिर्भर हुआ है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान उपार्जन योजना के अंतर्गत शामिल देश के राज्यों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। देश के अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (च्क्ैण्) एवं अन्यकल्याणकारी योजनाओं के लिये केन्द्रीय पुल में सर्वाधिक चांवल का परिदान करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है।

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान की मात्रा
(2007–08 से 2011–12 तक) मात्रा– मैट्रिक टन

वर्ष	धान उपार्जन मात्रा	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	वृद्धि या कमी का प्रतिशत
2007–08	31.51	–	–
2008–09	37.47	+ 5.96	+ 18.91%
2009–10	44.23	+ 6.76	+ 18.04%
2010–11	51.16	+ 6.93	+ 15.66%
2011–12	59.70	+ 8.54	+ 16.69%

स्त्रोतः– छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर वार्षिक प्रतिवेदन

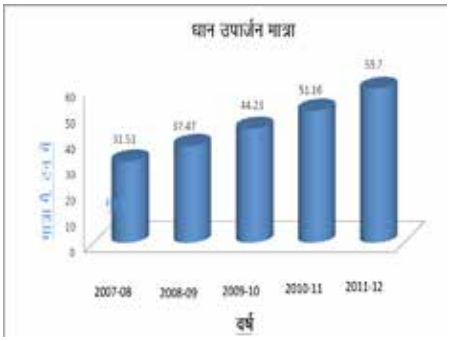

Volume : 4 | Issue : 12 | Dec 2014 | ISSN - 2249-555X

रेखाचित्र के निरीक्षण से स्पष्ट है कि विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2007–08 में 31.51 मै.टन, वर्ष 2008–09 में 37.47 मै.टन, इसी तरह क्रमशः वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में 44.23 मै.टन, 51.16 मै.टन तथा 59.70 मै.टन ध ाान का उपार्जन किया गया। गत वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2008–09 में 5.96 मै.टन अधिक धान, वर्ष 2009–10 में वर्ष 2008–09 की तुलना में 6.76 मै.टन अधिक धान, वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 की तुलना में 6.93 अधिक ध ाान तथा वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 की तुलना में 8.54 मै.टन अधिक धान उपार्जित किया गया। स्पष्ट है कि धान की उपार्जन मात्रा में प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है।

विपणन संघ द्वारा धान उपार्जन का
लक्ष्य व पूर्ति

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य पूर्ति का प्रतिशत
2007–08	44	31.51	71.61%
2008–09	35	37.47	107.05%
2009–10	40	44.23	110.57%
2010–11	45	51.16	111.36%
2011–12	50	59.70	119.40%

मात्रा (मैट्रिक टन)
स्त्रोतः– छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्या. रायपुर वार्षिक प्रतिवेदन

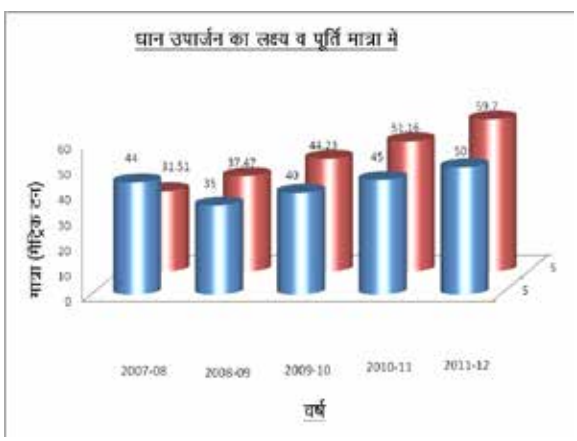

तालिका के निरीक्षण से स्पष्ट है कि विपणन संघ द्वारा धान क्रय मात्रा का लक्ष्य के प्रति पूर्ति प्रतिशत वर्ष 2007–08 में 71.61:, वर्ष 2008–09 में 107.05:, वर्ष 2009–10 में 110.57:, 2010–11 में 111.36: एवं वर्ष 2011–12 में 119.40: रहा। विपणन संघ द्वारा सर्वाधिक लक्ष्य के प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2011–12 में 119.40: रहा और लक्ष्य के प्रति पूर्ति का प्रतिशत सबसे कम 2007–08 में 71.61: रहा। संस्था में प्रत्येक वर्ष अपने लक्ष्य से अधिक धान का उपार्जन किया है किन्तु वर्ष 2007–08 में वह लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायी है। अध्ययन अवधि में संस्था के लक्ष्य के प्रति पूर्ति प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

विपणन संघ द्वारा उर्वरक का वितरण :–
छ.ग. के कृषकों को सही समय पर उचित मात्रा में उच्च गुणवत्ता के रासायनिक उर्वरक उपलब्ध करवाना विपणन संघ का उद्देश्य है ताकि छ.ग. में कृषि कार्य सफलतापूर्वक चल सके। मार्कफेड प्रारंभ से ही उर्वरक के उपार्जन और वितरण का कार्य रसायन व उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के दिशा–निर्देशों और नियमों के अनुसार करता आ रहा है। छ.ग. में उर्वरक के वितरण की व्यवस्था सरकारी व निजी क्षेत्रों द्वारा की जाती है। छ.ग. में रासायनिक उर्वरक के क्रय–विक्रय करने वाली सबसे बड़ी संस्था मार्कफेड है। मार्कफेड नाइट्रोजन, फास्फेरिक, पोटाशिक फर्टिलाइजर को इसके निर्माताओं व आयातकर्ता से खरीदकर राज्य भर में फैले अपने 103 केन्द्र पर उर्वरक भण्डारण कर इन्हें जिला सहकारी बैंक के द्वारा जारी रिलीज आर्डर के आधार पर संबंधित जिलों के प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों को उपलब्ध कराता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में न्यूनता की चुनौती को ध्यान में रखते हुए मार्कफेड जिंक सल्फेट, जिप्सम आदि की आपूर्ति की भी व्यवस्था करता है।

विपणन संघ का रासायनिक उर्वरक वितरण
व्यवसाय

वर्ष	मात्रा मै.टन में	वृद्धि या कमी	वृद्धि या कमी का प्रतिषत	राषि करोड़ों में
2007–08	451209	–	–	266.85%
2008–09	497549	+46340	10.27:	314.57%
2009–10	532086	+25008	5.02:	329.15%
2010–11	644862	+118722	22.71:	415.72%
2011–12	689554	+48275	7.06:	663.99%

स्त्रोतः– छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर वार्षिक प्रतिवेदन
तालिका के निरीक्षण से स्पष्ट विदित हो रहा है कि अध्ययन अवधि में विपण ान संघ के रासायनिक खाद वितरण व्यवसाय मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007–08 में 451209 टन रासायनिक खाद का वितरण विपणन संघ द्व ारा किया गया था, जो कि वर्ष 2011–12 में बढ़कर 689854 टन हो गया। अध्ययन अवधि में रासायनिक खाद की वितरण मात्रा में 1.5 गुणा वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2008–09 में गतवर्ष की तुलना में 10.27:, वर्ष 2009–10 में 5.02:ए वर्ष 2010–11 में 22.71:ए वर्ष 2011–12 में 7.06:ए दर्ज की गयी। सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2010–11 में 22.71: तथा सबसे कम वृद्धि 2009–10 में 5.02: दर्ज की गयी।

विपणन संघ द्वारा रासायनिक उर्वरक वितरण मात्रा में

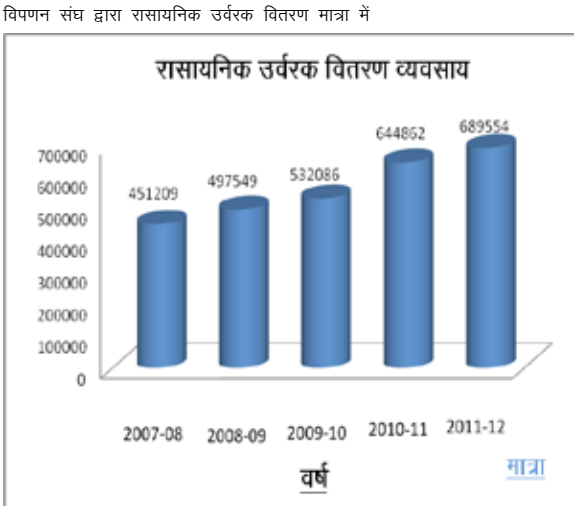

विपणन संघ द्वारा रासायनिक उर्वरक
वितरण रूपयों में
राषि – करोड़ों में

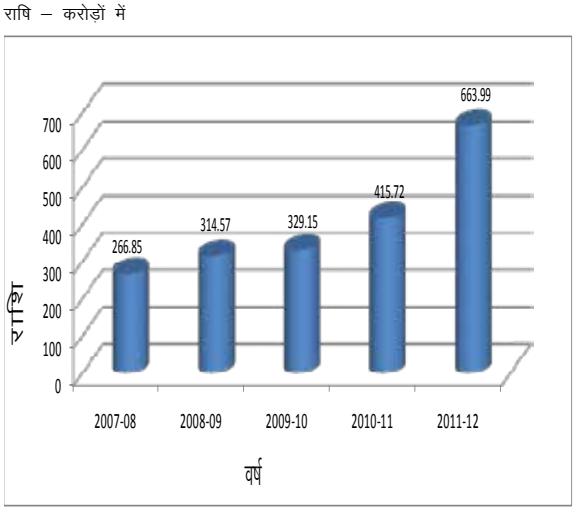

Volume : 4 | Issue : 12 | Dec 2014 | ISSN - 2249-555X

विपणन संघ के रासायनिक उर्वरक वितरण व्यवसाय का लक्ष्य व पूर्ति
(मात्रा – मै.टन में) राशि – करोड़ों में

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति		पूर्ति का प्रतिशत
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	
2007–08	540600	383.28	451209	266.85	69.62%
2008–09	532645	314.24	497549	314.57	100.01%
2009–10	640411	380.42	532086	329.15	86.52%
2010–11	703624	446.24	644862	415.72	93.15%
2011–12	695784	455.77	689554	663.99	145%

स्त्रोत :– छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर वार्षिक प्रतिवेदन

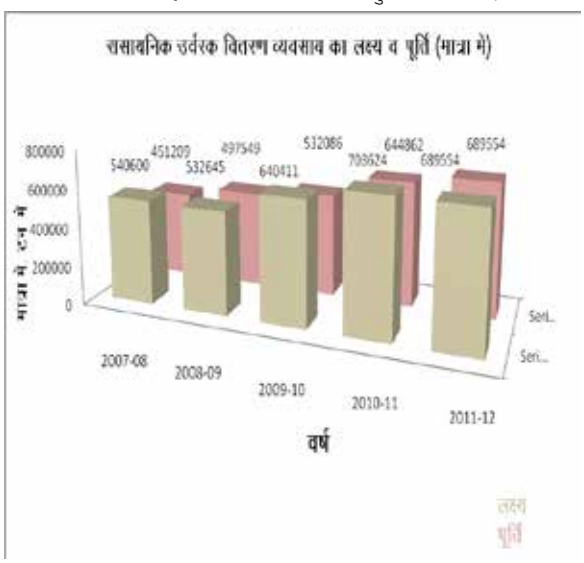

सारणी के निरीक्षण से स्पष्ट है विपणन संघ का रासायनिक खाद के विक्रय का लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत क्रमशः 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः 66.62:, 100.01:ए 86.52:, 93.15: एवं 145: है। वर्ष 2008–09 एवं 2011–12 में संस्था अपने लक्ष्य में अधिक रासायनिक खाद का वितरण किया है। शेष वर्षों में संस्था का रासायनिक खाद के वितरण का लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक है। सर्वाधिक लक्ष्य की पूर्ति वर्ष 2011–12 में 145: तथा सबसे कम लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत वर्ष 2007–08 में 69.62: रहा।

संग्रहण एवं भण्डारण

संघ के पास अलग से संग्रहण अमला है जो संघ के भण्डारण गतिविधियों का प्रबन्ध करता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है संघ की कुल संग्रहण क्षमता 5.11 लाख मैट्रिक टन है। इसका प्रबंधन महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है एवं जिला स्तर पर भण्डार अधीक्षक एवं भण्डार रक्षक द्वारा किया जाता है। संघ न केवल रासायनिक खाद का भण्डारण करता है बल्कि अनाज एवं दालों का भी भण्डारण करता है तथा किसानों एवं अन्य कम्पनियों के लिए भी संग्रहण की व्यवस्था करता है। संग्रहण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। संघ के व्यवसाय में भण्डार गृहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि आदान विपणन वस्तुएं संघ के अपने गोदामों में भण्डारित की जाती हैं। संघ के स्वयं की वस्तुओं के अतिरिक्त इन गोदामों के कुछ भाग वितरकों, किसानों एवं व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किराये से भी दी जाती हैं।

इस प्रकार विपणन संघ सहकारिता के आधार पर कृषि उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अर्न्तगत क्रय कर, कृषकों को कृषि कार्य हेतु रासायनिक खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर, कृषि उत्पाद की भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराकर राज्य में कृषि के विकास के लिये अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है।

REFERENCE

1. वार्षिक प्रतिवेदन, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'', रायपुर वर्ष, 2008 | 2. वार्षिक प्रतिवेदन, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'', रायपुर वर्ष, 2009 | 3. वार्षिक प्रतिवेदन, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'', रायपुर वर्ष, 2010 | 4. वार्षिक प्रतिवेदन, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'', रायपुर वर्ष, 2011 | 5. वार्षिक प्रतिवेदन, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'', रायपुर वर्ष, 2012 | 6. खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में धान/मक्का उपार्जन/कस्टम मिलिंग संबंधी निर्देशों की पुस्तिका– छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर | Web Site | 1. www.cg.nic.in | 2. www.cgmarkfel.in | 3. http://agridept.cg.gov.in | 4. http://coop.co.gov.in |